न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी कुशल कुमार कोठारी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 55/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. मेगसिंह पुत्र श्री सोनसिंह जाति राजपूत निवासी–निम्बों का तालाब तहसील ओसियां जिला–जोधपुर		1. प्रेमसिंह पुत्र श्री खीवसिंह 2. इन्द्रसिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह 3. हुकमसिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह 4. सगतसिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह 5. रामसिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह 6. पर्वतसिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह 7. गोरधनसिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह 8. जोधसिंह पुत्र श्री मोहब्बतसिंह 9. सवाईसिंह पुत्र श्री मोहब्बतसिंह 10. कंवरसिंह पुत्र श्री मोहब्बतसिंह 11. सपूकंवर पत्नि श्री मोहब्बतसिंह 12. अनोपसिंह पुत्र श्री रेवंतसिंह 13. चतुरसिंह पुत्र श्री रेवंतसिंह 14. रघुनाथासिंह पुत्र श्री रेवंतसिंह सभी जातियान–राजपूत निवासीगण–निम्बा का तालाब तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 15. तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.12.2010 को तहसीलदार ओसियां ने बंटवाड़ा का आदेश पारित किया गया।

उपस्थिति:–
1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश भादु उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 14 की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह बावरला उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 15 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 11.07.2017

अपीलान्ट मेगसिंह पुत्र श्री सोनसिंह, जाति राजपूत, निवासी निम्बों का तालाब, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेन्टस

प्रेमसिंह पुत्र श्री खीवसिंह, जाति राजपूत, निवासी निम्बा का तालाब, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर वगैरह के विरूद्ध तहसीलदार, ओसियां द्वारा ग्राम निम्बों का तालाब तहसील ओसियां में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 368 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा का स्वीकृत बंटवाड़ा आदेश दिनांक 09.12.2010 को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 के सहखातेदारी की पुश्तैनी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि गांव निम्बा का तालाब तहसील ओसियां जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 368 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा आई हुई है। अपीलान्ट मेगसिंह जन्म से ही नेत्रहीन है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि का सहखातेदारी के बीच आज तक बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है परन्तु रेस्पोडेन्टस ने हल्का पटवारी से मिलकर अवैध एवं विधि विरूद्ध तरीके से वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करवा लिया जिसकी अपीलान्ट को जानकारी नहीं होने दी जबकि विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना सहखातेदारी कृषि भूमि का कानूनन बंटवाड़ा नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट का अपने हिस्से की भूमि पर पक्की ढाणी, पानी का टांका बना हुआ है तथा ढाणी में अपीलान्ट अपने परिवार सहित निवास करता है परन्तु अपीलाधीन आदेश द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से बंटवाड़ा किया गया। उस बंटवाड़ा आदेश व नजरी नक्शा में अपीलान्ट के रहवासीय ढाणी का कब्जा व जगह मौके पर स्थित है उसके विपरित ही दर्शा दिया एवं जहां अपीलान्ट की ढाणी व कब्जा है उस भूमि के अलावा अन्य सहखातेदारी का कब्जा व काश्त वाली भूमि अपीलान्ट के हिस्से से दर्शाते हुए राजस्व अभिलेख नक्शा जमाबन्दी में दर्ज कर दी गई एवं अपीलान्ट के ढाणी वाली कृषि भूमि अन्य सह खातेदारों/रेस्पोडेन्ट के हिस्से में दर्ज कर दी गई यानि अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट मौके पर काबिज है उसके विपरित ही बंटवाड़ा आदेश पारित किया गया इस तरह मौके की वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही विधि विरूद्ध एवं अवैध तरीके से जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधिवत नहीं होने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही दिन में बंटवाड़ा की सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस ने विधिनुसार आवेदन ही नहीं किया था जबकि बंटवाड़ा करवाने में 100/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर ईकरारनामा पंजीकृत करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो प्रस्तुत नहीं किया तथा तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट प्राप्त किये बिना एवं सहखातेदारों के उज्र एतराज सुने बिना ही जल्दबाजी में साईक्लो स्टाइल त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया जो स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता है तथा बाई मीटस

एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नहीं होने से अपीलाधीन आदेश खारिज किया जाना कानूनन न्यायोचित है। अपीलान्ट जन्म से ही नेत्रहीन है इनको कुछ भी दिखाई नहीं देने से कोई भी दस्तावेज स्वयं निष्पादित करवाने में कानूनन असमर्थ होते है इस कारण नेत्रहीन व्यक्ति की ओर से उनके संरक्षक द्वारा ही दस्तावेज निष्पादित करवाया जा सकता है जबकि अपीलाधीन आदेश की अपीलान्ट को भली-भांति जानकारी करवाये बिना एवं संरक्षक की सहमति लिये बिना ही बाले बाले विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधि एवं कानून के विपरित होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी हाल ही में जानकारी होने पर जानकारी के दिनांक से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत की जा रही है।

अत: अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर ग्राम निम्बा का तालाब तहसील ओसियां में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 368 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा का बंटवाड़ा आदेश दिनांक 09.12.2010 को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 कि ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह बावरला ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के सहखातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 368 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा ग्राम निम्बा का तालाब तहसील ओसियां जिला जोधपुर में आई हुई है। उक्त वादग्रस्त भूमि का अपीलाधीन आदेश के द्वारा बंटवाड़ा किया गया उसमें पक्षकारान मौके पर काबिज है एवं पक्षकारान कि ढाणी मकान बने हुए है उसके विपरित दर्शा दिया गया एवं राजस्व अभिलेख जमाबन्दी एवं नक्शा से दर्ज कर दी गई इसलिये खसरा नम्बर 368 का बंटवाड़ा खारिज किया जाना कानूनन न्यायोचित है।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश भादु ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट का अपने हिस्से की भूमि पर पक्की ढाणी, पानी का टांका बना हुआ है तथा ढाणी में अपीलान्ट अपने परिवार सहित निवास करता है परन्तु अपीलाधीन आदेश के द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से बंटवाड़ा किया गया उस बंटवाड़ा आदेश व नजरी नक्शा में अपीलान्ट के रहवासीय ढाणी का कब्जा व जगह मौके पर स्थित है उसके विपरित ही दर्शा दिया एवं जहां अपीलान्ट की ढाणी व कब्जा है उस भूमि के अलावा अन्य सहखातेदारी का कब्जा व काश्त वाली भूमि अपीलान्ट के हिस्से से दर्शाते हुए राजस्व अभिलेख नक्शा जमाबन्दी में दर्ज कर दी गई एवं अपीलान्ट के ढाणी वाली

कृषि भूमि अन्य सह खातेदारों/रेस्पोडेन्ट के हिस्से में दर्ज कर दी गई यानि अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट मौके पर काबिज है उसके विपरित ही बंटवाड़ा आदेश पारित किया गया इस तरह मौके की वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही विधि विरूद्ध एवं अवैध तरीके से जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधिवत नहीं होने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही दिन में बंटवाड़ा की सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित करने से खारिज किये जाने निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 कि ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह बावरला ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के सहखातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 368 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा ग्राम निम्बा का तालाब तहसील ओसियां जिला जोधपुर में आई हुई है। उक्त वादग्रस्त भूमि का अपीलाधीन आदेश के द्वारा बंटवाड़ा किया गया उसमें पक्षकारान मौके पर काबिज है एवं पक्षकारान कि ढाणी मकान बने हुए है उसके विपरित दर्शा दिया गया एवं राजस्व अभिलेख जमाबन्दी एवं नक्शा में दर्ज कर दी गई इसलिये खसरा नम्बर 368 का बंटवाड़ा खारिज किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस के पूर्व व वर्तमान में भूमि पर काबिज अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस एक ही परिवार के सदस्य है तथा पूर्व में हुए बंटवाड़ा/विभाजन से दोनो पक्ष सहमत नहीं है। इस आशय से अपीलान्ट इस अपील को लेकर आये है तथा रेस्पोडेन्टस भी अपीलान्ट की अपील से सहमत होकर अपने लिखित जवाब में यह पेश किया है कि पूर्व में ग्राम निम्बा का तालाब के खसरा नम्बर 368 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा भूमि का बंटवाड़ा तस्दीक हुआ है उस बंटवाड़े में लिखित विवरण अनुसार मौके पर कोई भी पक्ष काबिज नहीं है। दोनों पक्षकार यह चाहते है कि अराजी भूमि के जिस भाग पर वे काबिज उसी अनुरूप नये सिरे से बंटवाड़ा किया जावे ताकि उन्हे किसी प्रकार की असुविधा भविष्य में न हो। दोनों पक्ष यह चाहते है कि निष्पादित पूर्व बंटवाड़ा निरस्त किया जाकर यह प्रकरण तहसीलदार ओसियां को पुन: भिजवाया जावे तथा निर्देशित किया जावे कि वे मौके की जांच कर, नये सिरे से बंटवाड़ा तस्दीक करे। ऐसी स्थिति में जब दोनों पक्षकार विवादित बंटवाड़े को निरस्त कर नये सिरे से बंटवाड़ा करने को सहमत हो तो न्यायहित में हम इस विवादित बंटवाड़े को निरस्त करते हुए

प्रकरण तहसीलदार ओसियां को प्रतिप्रेषित करते हुए यह निर्देशित किया जाना उचित समझते है कि वे दोनों पक्षों को पूर्ण रूप से सुने तथा विवादित भूमि पर जहां जहां वे काबिज है उसकी पूर्ण जांच करते हुए सभी पक्षों के रूबरू युक्तियुक्त ढंग से बंटवाड़े के संबंध में उचित आदेश पारित करे। लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार ओसियां को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय प्रति तहसीलदार ओसियां को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कुशल कुमार कोठारी)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर